राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

(सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार)

कार्यालय परियोजना निदेशक, रा.रा.रा.प्रा., पी.आई.यू.–अजमेर

(ई–मेलः PDPPPAJMER@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक : 424 दिनांकः– 29/02/2024

सेवामें,
उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः–Diversion of 4.9696 ha forest land for Development of Bewar Masuda-Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72,400, in the state of Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/ROAD/21332/2016).

संदर्भः–1. श्रीमान् कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर का पत्र क्रमांकः एफ 14 ( ) 2016/एफसीए/प्रमुवंस/391–92 दिनांक 09.02.2024।
2. श्रीमान् कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक एफ18( )एफसीए/उवसं/2023–24/1384 दिनांक 14.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विष्यांतर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरान्त कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर का पत्र क्रमांकः एफ 14( )2016/एफसीए/प्रमुवंस/390 दिनांक 09.02.2024 एवं एफ18( ) एफसीए/उवसं/2023–24/1381 दिनांकः 14.02.2024को आक्षेप लगाए थे, जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1.	आप द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन नही किया है।	आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।
2.	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विलम्ब होने का बताया गया कारण असंतोषप्रद है समय सारणी के आधार पर प्रस्तुत करें।	1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 09.09.2016 को ऑनलाइन प्रस्ताव नोडल अधिकारी महोदय को परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया गया था। 2. उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2019 को स्वीकार किया जाकर उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की हार्ड प्रतिलिपी उपवन संरक्षक एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। 3. उक्त बिन्दु की अनुपालना में 02.08.2019 को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हार्ड प्रतिलिपी जमा करवा दी गयी थी। 4. उपवन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 21.08.2019 को EDS द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि एवं एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। 5. दिनांक 28.10.2020 को जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था। 6. दिनांक 15.11.2019 को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन किया गया था जिस क्रम में जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक/एफ. 12

पताः–सा.नि.वि. परिसर, टोडरमल मार्ग, अजमेर (राज.) 305001 email :- pdpppajmer@rajsthan.gov.in

2/2/2

		(सी) / कअ / राजस्व / 2022 / 107 दिनांक 22.03.2021 को भूमि आरक्षित की गयी थी। 7. आरक्षित गैर वन भूमि का दिनांक 22.07.2021 को क्षेत्रीय वन अधिकारी की मोजुदगी में मौका निरिक्षण करवाया गया था उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना होना अवगत करवाया गया था। 8. कार्यालय उपवन संरक्षक अजमेर द्वारा पुनः दिनांक 27.07.2021 को क्षेत्रीय वन अधिकारी ब्यावर को स्मरण पत्र मौका निरिक्षण रिपोर्ट उपल्बध करवाने हेतु लिख गया था। 9. दिनांक 29.07.2021 को श्रीमान् उपवन संरक्षक अजमेर ने पत्र के द्वारा बताया आरक्षित की गैर वन भूमि वृक्षारोपण व वन प्रबंधन के लिए उपयुक्त नही है। तथा पुनः अन्य स्थान पर गैर वन भूमि आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया था। 10. इसी संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण ने पुनः समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर को आवेदन किया तथा श्रीमान् के निर्देशों अनुसार गैर वन भूमि आवंटन से पहले सयुक्त निरीक्षण किया, तथा श्रीमान् जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 12सी / कअ / राजस्व / 2022 / 185 दिनांक 18.05.2022 को भूमि आरक्षित हेतु आदेश दिए। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त आरक्षित भूमि को राजस्व रिकार्ड से वन विभाग के नाम इन्द्राज करवा कर 4 प्रतियो मय Kml File दिनांक 10.06.2022 को कार्यालय वन सरक्षक अजमेर में प्रस्तुत किये। 11. दिनांक 12.10.2022 को श्रीमान् उपवन संरक्षक ने प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन का निरीक्षण किया तथा वैकल्पिक मार्ग की जानकारी एवं सड़क निर्माण कार्य के दौरान होने वाले मय जनरेट की सूचना मांगी, जिसकी अनुपालना कर प्रयोक्ता अभिकरण दिनांक 11.11.2022 को जवाब प्रस्तुत किया। 12. इसी क्रम में श्रीमरान् उपवन संरक्षक ने दिनांक 14.11.2022 पुनः सड़क निर्माण की जानकारी मांगी जिसका प्रतिउत्तर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 12.01.2023 को दिया। 13. श्रीमान् उपवन संरक्षक ने भाग–II दिनांक 12.01.2023 को पूर्ति आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् मुख्य संरक्षक अजमेर को दिया तथा श्रीमान् मुख्य संरक्षक अजमेर ने कुछ टिप्पणीयो की अनुपालना हेतु दिनांक 24.05.2023 को प्रयोक्ता अभिकरण को पत्र लिखा जिसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण ने दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तुत करी। 14. इसी क्रम में दिनांक 01.08.2023 को मुख्य वन संरक्षक ने EDS के द्वारा कुछ जानकारी मांगी जिसका जवाब उपवन संरक्षक द्वारा दिनांक 02.08.2023 को दिया।

		15. दिनांक 12.12.2023 को मुख्य वन संरक्षक ने पत्र लिखकर Proposal के देरी होने का तथा कुछ टिप्पणीयों का जवाब मांगा जिसकी अनुपालना प्रयुक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 11.01.2023 को तथा उपवन संरक्षक ने दिनांक 12.01.2023 दी गईं। अतः महोदय से निवेदन है, कि पुनः गैर वन भूमि आरक्षित करवाने, कोविड–19 महामारी तथा अधिकारयों के पदस्थापन के कारण कुछ समय के लिए उक्त प्रकरण पर कोई कार्यवाही नही हो पायी थी, इसी कारण उक्त प्रस्ताव में विलम्ब हुआ।
3.	यूजर एजेन्सी के प्रतिउत्तर पर मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक की टिप्पणी अप्राप्त है।	आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

(केदार शर्मा)
उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
सह परियोजना निदेशक
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्रधिकरण,
पी.आई.यू.–अजमेर

क्रमांकः- 424 दिनांक :- 29/02/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। :–

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोड़ल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. श्रीमान् सदस्य, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी), सानिवि, राजस्थान, जयपुर।

उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
सह परियोजना निदेशक
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्रधिकरण
पी.आई.यू.–अजमेर